

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा  
पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

क्रमांक /रीडर/ 2021/

743

दिनांक :-19.11.2021

मुकदमा नंबर 09 /2021

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. ओमप्रकाश पुत्र घनराज 2. महेन्द्र कुमार पुत्र ओमप्रकाश 3. बसन्ती देवी पत्नी गणपतचन्द 4. भैरूलाल पुत्र भीखचन्द 5. रेशमी देवी पत्नी भैरूलाल 6. अमावीदेवी पत्नी दलपतराज 7. हेमन्त कुमार पुत्र दलपतराज 8. नरेन्द्र कुमार पुत्र दलपतराज 9. पुखराज पुत्र भीखचन्द 10. गौतमचन्द पुत्र धीगडमल 11. मनीष कुमार पुत्र महेन्द्र कुमार कौम ओसवाल निवासी बालोतरा	1. मिसराराम पुत्र प्रेमराम जाति कुम्हार 2. बीजाराम, 3. गोबरराम, 4. भंवरलाल पिसरान सांवलराम 5. रामाराम, 6. चुनीलाल, 7. बाबुलाल, 8. मूणाराम पिसरान प्रेमराम जाति कुम्हार निवासी माजीवाला 9. भंवरलाल पुत्र बूजालाल जाति महेश्वरी 10. हंसराज पुत्र ताराचन्द जाति महेश्वरी 11. भंवरलाल पुत्र गंगाविशन जाति महेश्वरी 12. सुनील पुत्र चान्दमल जाति महेश्वरी 13. बसन्तीदेवी पत्नी ओमप्रकाश जाति महेश्वरी निवासीयान बाड़मेर 14. देवकिशन पुत्र बेगूलाल जाति महेश्वरी 15. दिनेश कुमार पुत्र पुखराज जाति महेश्वरी 16. पुखराज पुत्र छोगाराम जाति महेश्वरी निवासीयान बालोतरा 17. आयुक्त नगर परिषद् बालोतरा 18. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा	

आदेश

दिनांक:-19.11.2021

उपर्युक्त प्रकरण मौजा मांजीवाला के पुराना खसरा नंबर 895 से नवसर्जित खसरा नम्बर 1135/895 रकबा 02 बीघा 14 विस्वा, खसरा नम्बर 1136/895 रकबा 02 बीघा 14 विस्वा, खसरा नम्बर 1137/895 रकबा 02 बीघा 13 विस्वा, खसरा नम्बर 1139/895 रकबा 01 बीघा 12 विस्वा, खसरा नम्बर 1140/895 रकबा 01 बीघा 12 विस्वा, खसरा नम्बर 1141/895 रकबा 01 बीघा 12 विस्वा, खसरा नम्बर 1142/895 रकबा 01 बीघा 13 विस्वा, खसरा नम्बर 1143/895 रकबा 01 बीघा 12 विस्वा, खसरा नम्बर 1144/890 रकबा 01 बीघा 12 विस्वा, खसरा नम्बर 1145/890 रकबा 01 बीघा 13 विस्वा, खसरा नम्बर 1146/895 रकबा 01 बीघा 02 विस्वा, खसरा नम्बर 1147/895 रकबा 01 बीघा 02 विस्वा, खसरा नम्बर 1148/895 रकबा 01 बीघा 02 विस्वा तथा खेत खसरा नम्बर 1173/903 रकबा 17 बीघा 05 विस्वा प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण संख्या 9 ता 16की विवादित भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को मौका कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/ पत्र के जरिये सूचित हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पथगद्दी नहीं करने से बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनोंक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारानकी उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे कमीशनर शुल्क रूपर्य 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपर्य मात्र निर्धारित की जाती हैं, जो प्रार्थीगण द्वारा चौके पर अदा किया जायेगा। पुलिस इमदाद की यदि आवश्यकता हो तो सम्बन्धित पुलिस थाना से प्राप्त कर



(नरेश सोनी)  
उपखण्ड अधिकारी  
बालोतरा

क्रमांक /रीडर/ 2021/

744

दिनांक :-19.11.2021

1. तहसीलदार पचपदरा पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. सम्बन्धित थानाधिकारी पुलिस थाना बालोतरा को पालना हेतु
3. पटवारी क्षेत्रमाजीवाला, तहसील पचपदरा को भेजकर लेख है किनिर्धारित तिथि का मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावे।
4. प्रार्थी :-ओमप्रकाश वगैरह
5. विप्रार्थीगण :-मिसराराम वगैरह

(नरेश सोनी)  
उपखण्ड अधिकारी  
बालोतरा